राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभात / गुलाब

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1

28.02.18

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अतिरिक्त कलक्टर प्रथम, जयपुर द्वारा दिनांक 25/1/84 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/3/2011 को प्रस्तुत हुई। चूंकी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है, इसलिये मियाद के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ। जिसपर अभिभाषक पक्षकारान की बहस समाप्त की गई। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसका तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अंकित किया कि जब न्यायालय अति० कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 25/1/1984 पारित किया गया, उस समय अपीलार्थी की आयु महज तीन वर्ष थी एवं आदेश होने के दौरान अपीलार्थी के पिताजी की मृत्यु होने के कारण व अपीलार्थी की माताजी अशिक्षित व अनपढ होने के कारण न्यायालय मे चल रही प्रक्रिया का ज्ञान नही हो सका, जिसके कारण अपने बचाव पक्ष के सम्पूर्ण तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सके एवं न ही अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपीलाधीन आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिये जारी किया गया है जो कि नियमो के अनुसार अपास्त किये जाने योग्य है क्युंकी सुनवाई का अवसर दिये बगैर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल आदेश पारित

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभात / गुमान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2	
	किया नहीं जा सकता। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस मे यह भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के दादाजी को आवंटित भूमि को कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर लगभग सात वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त हेतु निजी व्यक्तियो द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये आंवटन निरस्त करना किया गया। अभिभाषक प्रार्थी ने आगे अंकित किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18/2/83 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को गलत तरीके से कायम मुकाम बनाया गया, उस समय अपीलार्थी की उम्र 2- 2½ वर्ष होने के कारण व माता गरीब व अशिक्षित महिला होने के कारण उक्त प्रकरण की प्रक्रिया का अपीलान्ट को कभी भी ज्ञान नहीं हुआ। इस कारण अपीलार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहा। वर्ष 1980 से वर्ष 1982 के दौरान अपीलार्थी के दादा व अपीलार्थी के पिता की मृत्यु कारित होने के कारण अपीलार्थी की माता पर घोर विपदा आ गई, जिसके कारण अपीलार्थी की माता द्वारा अज्ञानतावश माननीय न्यायालय के समक्ष अपना बचाव पक्ष नहीं रख सकी। उस वक्त अपीलार्थी की आयु महज एक - दो वर्ष थी। अतः उपरोक्त कारणो से न्यायहित में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा-5	

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभात / गुलाब हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कानून मियाद स्वीकार फरमाया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 01/7/83 एवं 15/9/83 की ओर आकर्षित करवाकर बहस में निवेदन किया कि आदेशिका दिनांक 01/7/83 के अनुसार अप्रार्थी नं॰3 के वारिसान की ओर से श्री स्वामी एडवोकेट ने अन्डरटेकींग लेकर वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा, तत्पश्चात दिनांक 15/9/83 की आदेशिका के अनुसार प्रत्यर्थी धन्नी, बादामी एवं पप्पू की ओर से श्री एस.सी. स्वामी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखने हेतु उनके अभिभाषक उपस्थित थे। अभिभाषक अप्रार्थी ने पुन: अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05/12/83 एवं 17/12/83 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाकर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से धारा 151 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत हुआ, जिस पर पक्षकारान को सुनकर उसका निस्तारण किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी ने पुन: हमारा ध्यान अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25/1/84 की ओर आकर्षित कर निवेदन किया कि दिनांक 25/1/84 को आदेशिका अनुसार "वकुलाये फरीकैन उपस्थित" अंकित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक निर्णय

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभात / गुलाब

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4	

को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी / अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित थे एवं उनकी उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिससे प्रार्थी / अपीलार्थी का यह तर्क की उन्हे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी नही थी एवं उन्हे बगैर सुनवाई का अवसर दिये आदेश और अपील पारित किया गया है, निराधार है। अतः अब इस प्रार्थना पत्र के माध्यम् से मियाद के सम्बन्ध मे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकी प्रार्थना पत्र मे अंकित समस्त तथ्य गलत अंकित किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद खारिज फरमाया जाकर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होना शुमार किया जाकर खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 2011 (2) RLW (RJ) SC-971, 2011 (2) RLW (SC)-1761, 2011 (2) RLW (RJ) 900, 2011 (2) RLW (RJ) 864, 2010 (1) RLW (RJ) 622 उद्दरित की।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन् किया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अंडर्मित अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 01/7/83, 15/9/83, 05/12/83, 17/12/83 एव दिनांक निर्णय 25/1/84 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभात / गुलाब

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5	

रहने के दौरान अपीलार्थीगण की उपस्थिति जरिये उनके अभिभावक निरन्तर रही एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25/1/84 मे भी उनके अभिभावक की उपस्थिति आदेशिका मे दर्ज होने से यह तथ्य स्वीकार नही किया जा सकता कि प्रार्थी/अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नही रही हो। जहाँ तक प्रश्न प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या-1 के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दौरान अवयस्क होने का है के संदर्भ मे स्पष्ट है कि उनके प्राकृतिक संरक्षक के रूप मे उनकी माता प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या 2 के द्वारा उनके हित का संरक्षण किया गया है। अतः विचाराधीन अपील में उनके अवयस्क होने का किसी प्रकार लाभ नही दिया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होना शुमार किया जाता है, जिससे अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद निरस्त करते हुये अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होना शुमार करते हुये खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 28.02.18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर